mail

276/26

No. P-13013/45/2022-DD-3
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
****

5th Floor, B Wing, Pt. Deendayal Antodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110003
Dated: 9th February, 2026

Office Memorandum

Subject: Repsentations of Sh. Rajkumar Raju and Sh. Vivek Joshi-reg.

The undersigned is directed to forward herewith a representation of Shri Rajkumar Raju received through the Lok Sabha Secretariat regarding the difficulties faced by persons with disabilities (PwDs) in the use of adapted/modified vehicles, limited action by SCPD/CCPD, difficulty in infrastructure accessibility etc. and a grievance of Sh. Vivek Joshi on the related issue concerning road tax and GST exemptions for car purchases.

2. The representations, inter alia, highlight issues relating to stringent and non-uniform procedures for registration and approval of adapted/modified vehicles; absence of clear and uniform guidelines at the Central and State levels; difficulties in obtaining driving licences; inconsistent interpretation of rules by dealers and RTOs; insistence on avoidable documentation; lack of awareness among officials on disability rights laws; difficulties in availing vehicle loans; harassment during travel; ineffective grievance redressal mechanisms; and challenges in infrastructure accessibility. A request has also been made for exemption from toll tax for vehicles carrying persons with disabilities, irrespective of whether such vehicles are adapted or modified.

3. As the issues raised pertain to different Ministries/Departments, the representations are being forwarded as under for appropriate action:

Ministry of Road Transport & Highways – matters relating to toll tax and registration of vehicles;

Ministry of Heavy Industries and **Department of Revenue** – matters relating to GST and road tax exemptions;

Department of Financial Services – issues relating to vehicle loans;

AIC Section, DEPwD and all SCPDs, and **CCPD** – matters relating to infrastructure accessibility and grievance redressal.

Encl: as above

(Debala Bhattacharjee)
Under Secretary to the Govt. of India
(Email: debala.joarder@gov.in)

To,

1. The Secretary, M/o Road Transport & Highways, Room No:509, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001
2. The Secretary, M/o Heavy Industries, Udyog Bhawan, New Delhi, shioff@nic.in.
3. The Secretary (Revenue), Department of Revenue, Room No. 14102, Kartavya Bhawan - I, New Delhi
4. The Secretary, Dept. of Financial Services, M/o Finance, 6A, 3rd Floor, Jeevan Deep Building, Sansad Marg
5. The State Commissioners, All the SCPDs
6. Deputy CCPD, O/o CCPD, 5th Floor, NISD Building, Plot No. G-2, Sector-10, Dwarka New Delhi-110075
7. The Under Secretary, AIC section, DEPwD

Copy for information to:

1. Lok Sabha Secretariat
(Shri Raghubir Singh, Under Secretary)
015, Parliament house annexe (Extn.), New Delhi-110001
2. Sh. Vivek Joshi
Email: vkjoshi@protonmail.com

सं. P-13013/45/2022-DD-3

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

****

पांचवीं मंजिल, बी विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 9th फरवरी, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्री राजकुमार राजू एवं श्री विवेक जोशी की ओर से प्राप्त प्रतिनिधित्व/शिकायत – संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को लोक सभा सचिवालय के माध्यम से प्राप्त श्री राजकुमार राजू के प्रतिनिधित्व, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) द्वारा अनुकूलित/संशोधित वाहनों के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों, SCPD/CCPD द्वारा सीमित कार्रवाई, आधारभूत संरचना की पहुंच में कठिनाई आदि का उल्लेख है, को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, श्री विवेक जोशी की कार खरीद के संबंध में सड़क कर एवं जीएसटी छूट से जुड़ी शिकायत भी अग्रेषित की जा रही है।

2. उक्त प्रतिनिधित्वों/शिकायतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है: अनुकूलित/संशोधित वाहनों के पंजीकरण एवं अनुमोदन हेतु कठोर एवं असमान प्रक्रियाएँ; केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्पष्ट एवं एकसमान दिशा-निर्देशों का अभाव; ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयाँ; डीलरों एवं आरटीओ द्वारा नियमों की असंगत व्याख्या; अनावश्यक दस्तावेज़ीकरण की माँग; अधिकारियों में दिव्यांगता अधिकार कानूनों के प्रति जागरूकता की कमी; वाहन ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ; यात्रा के दौरान उत्पीड़न; अप्रभावी शिकायत निवारण तंत्र; तथा आधारभूत संरचना की पहुंच में चुनौतियाँ। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों (चाहे वे अनुकूलित/संशोधित हों या नहीं) के लिए टोल कर से छूट प्रदान करने का अनुरोध भी किया गया है।

3. चूंकि उठाए गए मुद्दे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, अतः उक्त प्रतिनिधित्व/शिकायतें निम्नानुसार उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जा रही हैं:

- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय** – टोल कर एवं वाहनों के पंजीकरण संबंधी मामले;
- **भारी उद्योग मंत्रालय एवं राजस्व विभाग** – जीएसटी एवं सड़क कर छूट संबंधी मामले;
- **वित्तीय सेवा विभाग** – वाहन ऋण संबंधी मुद्दे;

- एआईसी अनुभाग, **DEPwD** तथा समस्त **SCPDs** एवं **CCPD** – आधारभूत संरचना की पहुंच एवं शिकायत निवारण संबंधी मामले।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

देबाला

(देबाला भट्टाचार्य)
भारत सरकार की अवर सचिव
(ईमेल: debala.joarder@gov.in)

प्रति,

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कमरा सं.: 509, ट्रांसपोर्ट भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली, shioff@nic.in
3. सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, कमरा सं. 14102, कर्तव्य भवन - I, नई दिल्ली
4. सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, 6ए, तृतीय तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग
5. राज्य आयुक्त, सभी राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (SCPDs)
6. उप मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय, पांचवीं मंजिल, NISD भवन, प्लॉट सं. G-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
7. अवर सचिव, AIC अनुभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सूचना एवं अवलोकनार्थ प्रतिलिपि:

लोक सभा सचिवालय
(श्री रघुबीर सिंह, अवर सचिव)
015, संसद भवन परिशिष्ट (एक्सटेंशन), नई दिल्ली-110001
श्री विवेक जोशी
ईमेल: vkjoshi@protonmail.com

LOK SABHA SECRETARIAT

Urgent
Parliamentary Matter

(COMMITTEE ON PETITIONS BRANCH)

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI-110 001

015, Parliament House Annexe (Extn.)
New Delhi – 110001

No. LAFEAS-CP023/38/2025-COP/E-366789

Dated : 22nd December, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Representation of Shri Rajkumar Raju regarding affording social justice and upliftment to the handicapped population.

The undersigned is directed to forward herewith the representation dated 16.04.2025 of Shri Rajkumar Raju on the above captioned subject for taking such action as the Ministry may deem fit in the matter.

(RAGHUBIR SINGH)
UNDER SECRETARY
Tel : 011-23035780

Ministry of Social Justice & Empowerment
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)
(Ms. V. Vidyavathi – Secretary)
Government of India,
Room No.531, B-III wing, Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110001
(*secretaryda-msje@nic.in*)

No. LAFEAS-CP023/38/2025-COP/E-366789

Dated : 22nd December, 2025

Copy to: Shri Rajkumar Raju, The Disabled Friends' Society 2, DDA Shopping Complex, near Pushpa Bhawan, LSC Madangir, New Delhi, 110062 - with the request to make all future correspondence with the concerned Ministry directly.

UNDER SECRETARY

Diary No. 6384 JS (RS)/DEPWD Dated 26/12/25

JS(RS) - on leave
DS(IM) - OT
US(Policy)

Dy. No. 349/USC(DB) 26/12/25

Dy. No. - 382/SO(Pol.) 30/12/25

Diary No. 7765 SO/DEPWDs 26/12/2025

Diary No. 14673 /File/DS (IM) Dated 26/12/2025

On file.
21/12.
SO-Pol / Anamika.
29/12
Anamika

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

E-193483/2025/D.O.S.

सेवा में,

[illegible]

महोदय,

आपके के माध्यम से विकलांगों की भारत में अवस्था का जिक्र करवा कर समाज देश और सम्बंधित अधिकारीयों विभागों की दया दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं उम्मीद है कि आप मानवता कर्णमूलक आधार पर अनुग्रहित करेंगे

भारत का विकलांग कितना दिव्यांग विवशता को शाष्टांग

भारत में विकलांगों की आबादी लगभग आठ नौ करोड़ जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग सत प्रतिशत है के सामाजिक न्याय ओर सशक्तिकरण के अंतर्गत बराबर की भागीदारी का अवसर प्रदान करने हेतु

UNO की जनरल असेंबली में 1976 में 31/123 रेजुलेशन पास करके सन 1981 को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (IYDP) घोषित किया। इसने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना बनाने का आह्वान किया, जिसमें अवसरों की समानता, पुनर्वास और विकलांगता की रोकथाम पर जोर दिया गया। इसका विषय था "पूर्ण भागीदारी और समानता", जिसे विकलांग व्यक्तियों के अपने समाज के जीवन और विकास में पूर्ण रूप से भाग लेने, अन्य नागरिकों के समान जीवन स्थितियों का आनंद लेने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप बेहतर स्थितियों में समान हिस्सेदारी के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। अन्य उद्देश्यों में शामिल था:

17.04.25 JS(RK)
21-4 S(HSO)N&D
24/4/25

2-

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

जन जागरूकता बढ़ाना;

विकलांग व्यक्तियों की समझ और स्वीकृति; तथा
विकलांग व्यक्तियों को संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके माध्यम से वे अपने विचार व्यक्त कर सकें तथा अपनी स्थिति में सुधार के लिए कार्रवाई को बढ़ावा दे सकें। कुल मिलाकर सबक यह था कि विकलांग व्यक्तियों की छवि काफी हद तक सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है;

1981से हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस पूरी दुनियां में मनाया जाता है भारत में भी कई कानून बने और विकलांग अधिनियम 2016 अमल में आया इनको अपंग विकलांग हैंडिकैप्ड डिसेबल्ड विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इनको पूज्यनीय नाम दिव्यांग यानि कि दिव्य अंग वाले यह सर्वविदित है कि किसी की भी यदि अंग दिव्य या अंग भंग हों वो समाज की लिए कौतूहल का विषय बन जाता है एक अजूबे की तरह लोग दूर दूर से इस अजूबे को देखने आते हैं चाहे वो हमारे पशु गाय भैंस या नवजात शिशु क्यों ना हो

बेशक इस बीच कुछ काम हुआ लेकिन जैसे कि BARRIER FREE ENVIRONMENT की व्यवस्था थी या जो सम्मान मिलना था जो सुविधाएं रियायत छूट थी वो तो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की तर्ज पर कर पाए गैजेटेड हॉलिडे की तरह जरूरी नहीं हो पाया WHEELCHAIR एक्सिसिबल टॉयलेट बनाए गए जो सफाई कर्मियों के कब्जे में रहते हैं उनके प्रसाधन के रूप में चल भी रहें थे तो संपूर्ण व्यवस्था नहीं व्हीलचेयर POT तक नहीं जा सकती TOILET DOOR बहुत छोटे रेलवे में एक डिब्बा भेड़ बकरियों की तरह उस पर भी रेलवे कर्मियों अन्य यात्रियों का अतिक्रमण रिजर्व कोच में अंदर व्हीलचेयर ना तो सीट तक जा सकती ओर नाही मल मूत्र जाने की आवश्यकता हो तो व्हीलचेयर की एंट्री या मोबिलिटी नहीं

3-

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANANIKA PAL, ASO (Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

शुक्रगुजार आदरणीय नितिन गडकरी जी का उन्होंने हैंडिकैप्ड के लिए VEHICLE इस्तेमाल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस HIGHWAYS पर TOLL TAX में छूट परन्तु अफसोस सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए जो कि मैकेनिकल मोडिफाइड ADAPTED VEHICLE होने चाहिए HANDICAPPED के नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए अब देखने वाली बात है कि VEHICLE खरीदने के लिए क्या हैंडिकैप्ड को लोन मिल पाता है नहीं तो सुविधा नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी ADAPTED VEHICLE खुद के नाम होना जरूरी है

सिफारिशें भेजी गई कोई भी VEHICLE जो विकलांग के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसमें विकलांग यात्रा कर रहा हो TOLL TAX EXEMPTED होना चाहिए जिस प्रकार लाडली योजना में बच्चियों को विशेष सुविधाएं समय समय पर GOVT डिपॉजिट के कारण बच्चियां पढ़ाई के लिए आगे बढ़ पाई जैसे कि कोई भी महिला छोटे परिवार की या धनाढ्य परिवार की हो तो उसे संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में 2% स्टाम्प ड्यूटी की छूट मिलती है तो घर वाले छूट के कारण प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदते हैं

ऐसे ही यदि HANDICAPPED के नाम से परिवार के लोगों को HANDICAPPED की यात्रा के दौरान लालच में विकलांगों को बाहर निकलने का मौका ओर परिवार में सम्मान के हकदार हो सकते हैं हवाई यात्रा मेट्रो रेल यात्रा में ढंग की रियायत का ना होना दिल दुखाता है टोल टैक्स पर सरकारी कर्मचारी चाहे छोटा से छोटा अपना आइडेंटिटी कार्ड ओर दूसरा रुतबा दिखा कर बिना टोल टैक्स दिए चला जाता है हमारे लिए इतनी नाटकबाजी क्यों इतनी शर्ते क्यों गाड़ी मेरे नाम नहीं तो कुशल योग्य होने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा में किराए या अपनी पत्नी पति या परिवार के सदस्यों की गाड़ी में मोडिफिकेशन करवा कर ना तो गाड़ी चलाने ओर नाही लाइसेंस के लिये वेध हूं बल्कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से गाड़ी चलाने गाड़ी इस्तेमाल के लिए बाध्य हूं जिससे इनकी दया की पात्रता जबरदस्ती मुझ पर बनी रहे मुझे जो मिलेगा भीख में मिलेगा मेरे इस देश में सीधे सीधे कोई संवैधानिक कानूनी अधिकार नहीं है

4/-

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL ASO (Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

यदि कोई HANDICAPPED समर्थ होने के बावजूद गाड़ी का मालिक है और यात्रा के दौरान पुलिस वालों की बदनीयती से रोका जाता है तो पुलिस वाले इश्यू बना लेते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते और परिवार को बोलते हैं इसको क्यों उतार लिया इसको ले जाओ यदि कोई जवाब सवाल की नौबत आ जाए तो विकलांग की औकात बतलाई जाती है कि वैसे भी हाथ पैर से परेशान है विकलांग के नाते तेरे से कुछ कह नहीं सकते और तेरा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अदृश्य भगवान का डर होता दया दिखानी होती है तो कहते हैं कि सबसे छोटा चालान कर रहें हैं

महिलाओं SC ST और अन्य वर्गों का VOTE BANK होने के कारण उनके आयोग और रिजर्वेशन HELP LINE का प्रावधान है कोई जाति सूचक शब्द या औरतों के साथ अभद्र व्यवहार ही नहीं कुत्ते बिल्लियों अन्य पशुओं के साथ भी कोई असभ्य व्यवहार के लिए तुरन्त पुलिस सहायता प्रोटेक्शन मिल पाता है हमारे निः शक्त राष्ट्रीय कमिश्नर NATIONAL COMMISSIONER FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य में STATE COMMISSIONER FOR थे PERSONS WITH DISABILITIES काम तो कर रहें हैं परंतु नाम मात्र के लिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते है हमारी चिट्ठी प्रार्थना उनके पास जाती है तो वो आगे पहुंचा देते हैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल विकलांगों के लिए नहीं कर रहे बल्कि किसी ऑफिसर के खिलाफ विकलांग की शिकायत हो तो ऑफिसर हमेशा ऑफिसर का पक्ष करके हमारा कोई भी हिमायती नहीं कमजोरियों के कारण या दबाव के कारण GRANT प्राप्त करने बंदर बांट के कारण हमारे साथ जिंदाबाद ओर हम पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुर्दाबाद करने वाला कोई नहीं हमें जब तक हम सिर झुका कर हांजी हांजी इस SIR और लोगों की हां में हां मिलाते हैं तब तक इज्जत नहीं तो लूला लंगड़ा अपाहिज़ औकात में रहने की हिदायत दी जाती है और कई बार तो कोई समृद्ध तरक्कीशुदा सर्व सुविधाएं अपने दम पर हासिल की गई हो उसे भी बख्शा नहीं जाता रातों रात उसके घर के आगे सीवर वाटर ओर सड़क गली बनाने सामाजिक सुविधा के नाम पर जेसीबी से खुदाई कराकर उसकी गाड़ी को बंधक बना एक दो दिन का समय बतला कर व्हीलचेयर तक का रास्ता महीनों के लिए भी अवरुद्ध कर दिया गया है ऐसे में किस HELPLINE से मदद मांगे

5/-

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO (Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

वोट बैंक वालों को POLITICALLY SOCIALLY RESERVATION JUSTICE EMPOWERMENT के कारण लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधान सभा विधान परिषद और स्थानीय निकायों बोर्डो परिषदों कमिटियों में भाग लेकर रिजर्वेशन ओर नॉमिनेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारों में भागीदारी का संपूर्ण मौका दिया जा रहा परन्तु हमें किसी काबिल नहीं समझते बेशक विकलांग कितने भी योग्य संकलंग से ज्यादा समरथ हो नौकरी मे विकलांग अपनी अंग विकलांगता के कारण अपने कार्यस्थल पर रह कर ज्यादा से ज्यादा काम करता है अन्य हाथ पैर वाले लोगों के मुकाबले जो कि सिर्फ समय बिताते हैं

अभी तक समाज का भी नजरिया इतना उदार नहीं हो पाया जिस प्रकार फिल्म TV मीडिया ने विकलांगों को भीख मांगने वाला भिखारी अपराधी या नेत्रहीनों को टीचर या संगीत या विकलांग पान चाय या अन्य विकलांग का बोर्ड लगा कर खा कमा रहा है तो यहीं तक सीमित देखना चाहते हैं उसकी तरक्की सरकार द्वारा दान के रूप में मापी जाती है कोई function फेस्टेबल या सम्मान देना हो बल्कि एक दर्जन केले भी दान देने हो तो एक दर्जन लोगों के हाथ उस सम्मान माला के साथ ओर विकलांग की विकलांगता को हाइलाइट और कमजोरियों को प्रदर्शित करती हुई photo session का कार्यक्रम पुण्य कमाने ओर स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करने का जरिए समझते हैं और यदि विकलांग की पति या पत्नी थोड़ी सी ठीक ठाक हो लंगूर के साथ हूर दिखाने का प्रयास ही नहीं हमारा मजाक सा उड़ाया जाता है

आज भी विकलांगों को दिव्यांग बनाने के बाद भी समाज सरकार इनको यथोचित स्थान स्थापित कर देने में असमर्थ है और पहले तो PRINT MEDIA अखबार वाले हमारी कहानियां परेशानियां संघर्ष को प्रकाशित करके समाज सरकार का ध्यान अग्रसित करवाते भी थे लेकिन आज की चकाचौंध में राजनेताओं और महंगे उत्पादनों के विज्ञापन के सामने हम शायद छूट ही गए हैं वंचित से पड़े हैं

6/-

रही विकलांगता की बात तो विकलांग भगवान गणेश धृतराष्ट अष्टावक्र सैकड़ों वाणों की शैय्या पर पड़े भीष्म पितामाह और अन्य अनगिनत देवी देवता विकलांगों की श्रेणी में ही गिने गए हैं परमात्मा को भी बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन करम किए बहु विधि नाना वाला सर्वकला सर्वगुण सर्वशक्ति सर्वसम्पन समर्थ के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे साकार विकलांग रूप को चाहे नेत्रहीन deaf dumb physically challenged mentality retarded और अन्य अंग की कमजोरियों कमियों के कारण लंगड़ा लुला अंधा बहरा गूंगा अपाहिज होने के कारण स्वीकारता क्यों नहीं

हमारी विडंबना और औकात देखिए कि अगर हम किसी राजनेता मंत्री इत्यादि को अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार कोई सुझाव या इनकी सफलता पर बधाई भेजते हैं तो हमारा विकलांग या दिव्यांग शब्द जुड़ा हो तो जवाब आता है कि आपका पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु समाज कल्याण विभाग भेज दिया गया है उनसे संपर्क करें यही नहीं आज की तारीख में देखा गया है कि यदि कोई व्हीलचेयर bound विकलांग किसी ब्रांडेड आउटलेट या रेस्टोरेंट या अच्छी दुकान पर जाने की कोशिश करता है तो वहां के सिक्युरिटी गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है कि आपकी entry नहीं होगी बड़ी जिददो जहद और बेइज्जती के बाद अंदर प्रवेश दिया जाता है वहां हैंडिकैप्ड हेल्पलाइन की जरूरत है

जब तक भारत में विकलांगों की आबादी लगभग आठ नौ करोड़ जो कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग सात प्रतिशत है के सामाजिक न्याय ओर सशक्तिकरण के अंतर्गत बराबर की भागीदारी का अवसर नहीं मिलेगा इनको उचित स्थान सम्मान व उद्धार नही हो सकता

अंधेरे में जो बैठें हैं
नज़र उन पर कुछ डालो
अरे ओ रोशनी वालों

16/04/2021

राजकुमार राजू
हैंडिकैप्ड एक्टिविस्ट
The Disabled Friends' Society
2, DDA SHOPPING COMPLEX,
NEAR PUSHPA BHAWAN, LSC MADANGIR,
NEW DELHI – 110062, 9810132746, 9560090243
rajurk404@gmail.com rajuandassociates323@gmail.com

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:21 pm

Details for registration number: PMOPG/E/2026/0001194

Name	Vivek Joshi
Date of receipt	02/01/2026
Address	House No 199 Basant Hills Basant Hills
District name	Jalandhar
State name	Punjab
Mobile no	7009147526
Email Id	vkjoshi@protonmail.com

Grievance description

Empowerment of Persons with Disabilities >> Chief Commissioner for Persons with Disabilities >> Matter Pertaining to State Commissioner of Persons with Disabilities

Disability Certificate/ UDID Card : PB0310319800002595
Others Supporting Documents : RELATED TO ROAD TAX AND GST ON PURCHASING OF CAR

It is with due respect that I, Vivek Joshi, National Awardee, Social Activist working in the field of Disability Rights, Jalandhar (Punjab), am making this presentation with the aim of effective implementation of the constitutional, legal and human rights of Persons with Disabilities (PwDs).
Although the Government of India has presented a clear vision of inclusion and empowerment of Persons with Disabilities through the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) and various policy provisions, inconsistent, vague and fragmented implementation of these provisions is being seen in a very important area like purchase of vehicle (car). This situation, particularly in many areas, including Jalandhar (Punjab), is causing severe practical, financial, and psychological hardship for persons with disabilities.
Vehicle (Car) – Not a Convenience, But a Necessity
For persons with disabilities, a private vehicle is not a luxury, but
an essential means of independent mobility, employment, education, healthcare, and social participation.
Despite this, persons with disabilities face the following structural barriers in the vehicle purchase process:
Ambiguity in the implementation of concessions .
There is a lack of clear, consistent guidelines at the central and state levels regarding GST, road tax, registration fees, modified vehicle approvals, and other statutory exemptions.
Inter-departmental inconsistency.
Vehicle dealers, the Transport Department (RTO), and other relevant agencies offer different interpretations, forcing persons with disabilities to repeatedly visit offices.
Unnecessary Documentation and Delays:
Despite statutory eligibility, persons with disabilities are often asked to provide documents that have no clear legal basis, making the process extremely time-consuming.
Complexity in approval of adapted/modified vehicles
The approval process for adaptations required for severe disabilities and wheelchair users is highly complex, opaque and discouraging.

File No. P-13013/45/2022-DD-3 (Computer No. 22043)
https://pgportal.gov.in/CPGOFFICE/GrievanceDetails/GrievanceDetails/UE1PUEcvRS8yMDI2LzAwMDExQTQ=
Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 09/02/2026 04:22 pm

Lack of sensitization and training

Many officers/employees of the concerned departments are not aware of the Disability Rights Act and policy.

Name of organization(s) where grievance is pending	1. CCPD Section
Type of receipt	Transferred